


सेवामें

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियों





राजस्व वाद सख्या

तारीख पेशी

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

कानादास

बजरंगराम वगैरह

प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र को आज ही तलब कर जरिये विडोल खारिज
करवाने बाबत।

मान्यवरजी,


उक्त अनवान के वादपत्र में वादी व प्रतिवादीगण की ओर से निम्न निवेदन है कि :-


1. यह है कि उक्त अनवान का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादीगण द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय में मुकर्र है।
2. यह है कि उक्त अनवान की पत्रावली में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य गाँव के मौजीज व्यक्तियों की समझ समझाईस से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया हैं राजीनामा के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में बेचाननामा निस्पादित करवाया दिया है।
3. यह है कि वादपत्र विडोल होने के बाद उक्त वागद्रस्त भूमि बाबत वादपत्र में वर्णित अनुतोष बाबत वादी भविष्य में कभी भी उक्त भूमि बाबत घोषणा नहीं चाहेंगे तथा न ही वादी के आल औलाद ही हकदार होंगे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त राजीनामा के आधार पर वादी का वादपत्र जरिये विडोल खारिज किये जाने का सादर आदेश फरमावे।



वादी





प्रतिवादीगण

